XII

दिल्ली जल बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 9 सितम्बर, 1998 को सांय 3.00 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभागार वरुणालय फेज द्वितीय, झंडेवालान, नई दिल्ली–110 005 में हुई बारहवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

1.	श्री साहिब सिंह, मुख्यमंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र गुप्ता, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	उपाध्यक्ष
3.	श्री बालेश्वर राय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य दि0ज0बोर्ड
4.	श्री दीप चन्द बन्धु, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	तदैव
5.	श्री गौरी शंकर भारद्वाज, सदस्य, दिल्ली विधान सभा	तदैव
6.	श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दि0न0नि0	तदैव
7.	श्री छन्नूमल, सदस्य, दिल्ली छावनी	तदैव
8.	सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन)	तदैव

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 2.9.98 को हुई बैठक के कार्यवृत्त में वर्णित अन्य मुद्दे शीर्षक के विषय में निम्न परिवर्तन कर हस्ताक्षर किए गए ।

अन्य मुददे (2)

जल प्रभार के विषय पर चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि किसी भी रिहायशी भवन में जहाँ रहने के साथ–साथ व्यापारिक गतिविधियाँ भी होती हो मगर व्यापार के लिए प्रयोग मे लाये गये स्थान या भाग में पानी की टूटी न हो तो उस पूरे भवन पर व्यावसायिक दर पर पानी की वसूली करना उचित नहीं है। यदि कोई उपभोक्ता रिहायशी बिल्डिंग के व्यापार वाले खण्ड/स्थान जिसमे पानी का प्रयोग आवश्यक है उसके लिए अलग से एक गैर–घरेलू कनेक्शन संबधित श्रेणी में नियम के अर्न्तगत नहीं लिया हो तो जब तक अलग से दूसरी कैटेगरी का कनेक्शन न प्राप्त कर ले तब तक उस से निम्नतम गैर–घरेलू दर पर सम्बद्ध श्रेणी के अर्न्तगत वसूली की जाये ।

कृ0प0उ0

संकल्प संख्या 114

मद संख्या 116 दिल्ली जल बोर्ड में अधिशासी अभियन्ता (वि.एव या.) के पद पर नियमित नियुक्ति – विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 19.9.1995 को हुई थी।

निदेशक(प्रशा0 एवं कार्मिक) के पत्र क्रमांक – प्रशा0/98/40 दिनांक 2.9.98 में दिए गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने यह संकल्प किया कि श्री पी. के. भरीजा को जारी आरोप पत्र संख्या डब्लू एस0यू0/विजी0/डिस्पी0/मेजर/95–सी0एस0–213/5967, दिनांक 28.9.95 में निहित आरोपों को रद्द किया जाये। यह भी संकल्प किया गया कि उपरोक्त आरोप पत्र को रद्द किये जाने के परिणामस्वरुप तथा विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों को सील बन्द लिफाफे में रखा हुआ माने जाने के बजाय खुला माने जाने के आधार पर श्री पी0 के0 भरीजा का स्थान चयन सूची में श्री ए0सी0 शर्मा के नाम से पहले क्रम संख्या एक पर निर्धारित करने तथा उनसे कनिष्ठ अधिकारी सर्वश्री ए0सी0शर्मा, वी0 के0 जैन और अन्य अधिकारियों को कार्यालय आदेश संख्या 186, दिनांक 28.11.95 के अनुसार दी गई पदोन्नति की तिथि से श्री पी0 के0 भरीजा को रु0 3000–4500 (पूर्व संशोधित) वेतनमान में अधिशासी अभियन्ता(वि0एवंया0) के पद पर नियमित पदोन्नति की स्वीकृति दी जाती है।

संकल्प संख्या 115

मद संख्या 117 करोल बाग क्षेत्र में बाबा फरीदपुरी कालोनी में एनेक्सी बिल्डिंग और बूस्टर पम्पिंग स्टेशन सहित एक मिलियन लीटर क्षमता के भूमिगत जलाशय का निर्माण, परीक्षण और चालू करना (केवल सिविल कार्य)।

मुख्य अभियन्ता (सिविल) तृतीय के पत्र क्रमांक इन्जी0/98/76 दिनांक 4.9.98 में दिए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया गया की उपरोक्त कार्य को निविदा राशि से 17 प्रतिशत अधिक की बातचीत के आधार पर तय दर पर तथा रुपये 41,77,365.66 की कुल लागत पर मैर्सस सुरेश सलधी को आबंटित किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

नयें मुद्दे जिन पर इस बैठक में चर्चा/निर्णय लिया गया :–

1. अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हुये अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड के सदस्यों को हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री बंसीलाल जी के साथ हुई बैठक में दिल्ली को कच्चे पानी की आपूर्ति सम्बन्धी बातचीत की जानकारी दी और विश्वास प्रकट किया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय के सकारात्मक रवैये के फलस्वरुप नाँगलोई स्थित 40 मिलियन गैलन दैनिक क्षमता के जल शोधन संयत्र के 2 अक्तूबर, 1998 से चालू होने की सम्भावना प्रबल हुई है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय ने मुनक से एक अलग पक्की चैनल के निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही पाँच दिनों के अन्दर करवाने के लिए भी अपनी सहमति दे दी है। इस पक्के चैनल के बन जाने पर लगभग 200 क्यूसेक अतिरिक्त कच्चा पानी दिल्ली को मिलेगा। नहर वाली जमीन के एवज (बदले) में हरियाणा को 95 एकड़ जमीन किसी अन्य स्थान पर देने वाले प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। दिल्ली सरकार इस विषय पर अपनी योजना बना रही है तथा नहर वाले भाग में भरान करने के पश्चात् मनोरंजन पार्क इत्यादि बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

2. बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति को लेकर अध्यक्ष महोदय ने असंतोष प्रकट किया और कहा कि सभी सदस्यों को बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए उनकी ओर से पत्र भेजा जाये। बैठक के दौरान यह बताया गया कि आयुक्त, दिल्ली नगर निगम को स्थाई समिति की बुधवार को होने वाली बैठक में भी उपस्थित रहना पड़ता है, जिस कारण वह जल बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि आगे से दिल्ली जल बोर्ड की बैठकें सांय 6.00 बजे से आरम्भ की जायें।

3. पहले से लिए गए निर्णय के अनुसार डी0डी0ए0 द्वारा डाली गई सीवर लाइनें यदि कहीं बैठ गई हो तो ऐसी सीवर लाइनों को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बदला जाये तथा इस कार्य पर आने वाले खर्च का क्लेम डी0डी0ए0 को भेजा जाये तथा ऐसी कालोनियों का, जिनमें सीवर लाईन डालने की स्वीकृति दी जा चुकी है लेकिन कार्य आरम्भ नहीं किये गये हैं, उनका विवरण बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

4. अध्यक्ष महोदय ने कहा कि "डिपोजिट वर्क्स" के अन्तर्गत जिन कार्यो का वर्क आर्डर दिया जा चुका है, उन कार्यो को आरम्भ किया गया है या नहीं, उसका विवरण भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

5. अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि यूनियन के साथ हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जाये ।

6. अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि विभागीय पदोन्नति के मामलों पर तुरन्त निर्णय लिया जाये और ऐसी पदोन्नतियाँ दिनाँक 30.9.1998 तक कर दी जायें ।

कृ0प030

7. दिनॉक 26.8.1998 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हार्टिक्लचर विभाग के बारे में पूर्ण विवरण बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये, परन्तु वॉछित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई । अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि वॉछित जानकारी बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

8. अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि विभिन्न स्थानों पर सड़क के किनारे पड़े दिल्ली जल बोर्ड के पाइपों को उन स्थानों से हटाकर विभागीय स्टोरों पर एक सप्ताह के अन्दर एकत्रित किया जाये और इस सम्बन्ध में बोर्ड की आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये ।

9. दिल्ली जल बोर्ड के "लोगो" को अध्यक्ष महोदय ने बोर्ड के सदस्यों को दिखाया और बोर्ड ने "लोगो" को अपनी अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी ।

10. अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि ब्रेक डाउन के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आवश्यक वाहन को सभी उपकरणों सहित यथाशीघ्र तैयार किया जाये एवं एक विशेष रंग रोगन में उन्हें सुसज्जित किया जाये । श्री ए0के0 गुप्ता, मुख्य अभियन्ता(वाटर वर्क्स) को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को तुरन्त पूर्ण करवायें ।

11. बोतलों में पेयजल की व्यवस्था पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि सम्बन्धित कम्पनियों को एक साथ अपने सैम्पल और रेट के साथ आगे की बातचीत के लिए जल बोर्ड की मीटिंग में बुलाया जाये । उन्होंने यह भी कहा कि दो लीटर वाली बोतलों में पानी की व्यवस्था के लिए टैन्डर नोटिस जारी किया जाये, ताकि न्यूनतम रेट पर अधिकतम जल उपलब्ध हो सके ।

12. दोषयुक्त मीटरों को बदलने सम्बन्धी मुद्दे पर चर्चा करते हुए यह कहा गया कि उपभोक्ताओं पर किसी विशेष प्रकार के ब्राण्ड या मेक के मीटर लगाने के लिए दबाव न डाला जाये । अध्यक्ष महोदय ने खराब मीटरों को बदलने सम्बन्धी साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट बोर्ड के सामने प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये ।

13. अध्यक्ष महोदय के प्रस्ताव पर बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्रशंसनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत एवं अकर्मठ कर्मचारियों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी कार्यवाही की साप्ताहिक रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये ।

सचिव

अध्यक्ष
दिल्ली जल बोर्ड